



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल दमोह (म0प्र0)

पता - कमला नेहरू कॉलेज के पास सिविल वार्ड नं.-4, जिला दमोह (म.प्र.) पिन : 470661

E-Mail :- dfotdmoh@mp.go.vin

Phone :- 07812-222541 Fax -07812-227205

क्रमांक/मा.चि./2018/
प्रति,

2624

दमोह, दिनांक

1-10-2018

प्रबंधक

रिलायंस जियो इन्फो कॉम लिमिटेड

तृतीय तल, डी.बी.माल,

एम.पी.नगर भोपाल

विषय:-

Request for granting permission for laying Optical Fiber Cable Abhana to Dhansara Road total lengths 11.21 km (0.590 ha.)

संदर्भ:-

1. आपका पत्र प्राप्ति दिनांक 01.06.2018.
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/2018/निर्देश/10-11/48 दिनांक 06.01.2018.
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/विविध/2018/10-11/725 दिनांक 12.03.2018
4. मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर का पत्र क्रमांक/मा.चि./एफ.सी.ए.-ओ.एफ.सी. 1/2018/5717 दिनांक 01.10.2018.

-----000-----

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र दिनांक 01.06.2018 द्वारा विषयांकित अभाना से धनसरा मार्ग पर राईट ऑफ वे के अंतर्गत (सड़क के किनारे-किनारे) ओ.एफ.सी. केविल लाईन डालने हेतु 0.534 हे. वनभूमि उपयोगार्थ हेतु प्रस्ताव क्रमांक **FP/MP/OTHER/33956/2018** का ऑन-लाईन प्रस्तुतीकरण कर नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) के अनुमोदन उपरांत भाग-1 की हार्ड कॉपी 02-02 प्रतियों में प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव में वन मंडल द्वारा भाग-2 की पूर्ति उपरांत मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर के संदर्भित पत्र दिनांक 01.10.2018 द्वारा अनुशंसा कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल के संदर्भित पत्र दिनांक 06.01.2018 में दिये गये निर्देशानुसार सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल के संदर्भित पत्र क्रमांक/एफ-5/2018/निर्देश/10-11/48 दिनांक 06.01.2018 में दिये गये निर्देशानुसार अभाना से धनसरा मार्ग पर राईट ऑफ वे के अंतर्गत (सड़क के किनारे-किनारे) ओ.एफ.सी. केविल लाईन डालने में प्रभावित 1.00 हे. से कम 0.534 हे. वनभूमि व्यपवर्तन की सैद्धांतिक अनुमति निम्न शर्तों के अधीन जारी की जाती है।

1. स्वीकृति के अधीन ओ.एफ.सी. लाईन निर्माण का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	परिक्षेत्र का नाम	वन कक्ष क्रमांक	प्रभावित वनभूमि		
			लम्बाई मी.	चौड़ाई मी.	क्षेत्रफल हे.मे.
1	सगोनी	RF 417, RF 418, RF 419, RF 423, RF 424, RF 415	8900 M	0.60 M	0.534

2. म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5/16/200/10-3 दिनांक 12 सितम्बर 2008 के निर्देशानुसार अंडरग्राउंड ओ.एफ.सी. लाईन के प्रकरणों में नेटप्रेजेट वैल्यू की राशि से छूट प्रदान की गई है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र

क्रमांक/एफ-5/विविध/2018/10-11/725 दिनांक 12.03.2018 के निर्देशानुसार यदि प्रकरण में एन.पी.व्ही अथवा अन्य कोई राशि नहीं ली जाना है, तो भी आवेदक संस्था को ऑन-लाइन राशि 100.00 रुपये राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम) के अनुमोदन उपरांत ई पोर्टल के माध्यम से केम्पा खाते के अन्य मद में जमा कर पुष्टि हेतु जमा की गई राशि की जानकारी इस कार्यालय में भिजवाये।

3. राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के क्षेत्र में यह स्वीकृति लागू नहीं होगी।
4. वन भूमि व्यवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राइट ऑफ वे के तहत है, राइट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।
5. वन भूमि पर भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबिल/भूमिगत टेलीफोन लाइन केबिल बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खंती का आकार 2 मीटर गहरा तथा 0.60 मीटर चौड़ाई से अधिक नहीं होगा। खोदे गये गड्ढों को आवेदक द्वारा पूरा जाकर समतल स्थिति में लाया जावेगा।
6. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।
7. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा।
8. समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्था के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई निकाली गई मिट्टी से संबंधित वनाधिकारी की उपस्थिति में किया जाकर सूचना वन मंडल अधिकारी को आवेदक स्वयं लिखित में देगा।
9. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र से उत्खनन नहीं किया जावेगा।
10. खंती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुँचाई जावेगी तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जाएगा।
11. यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है, तो वन मण्डल अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।
12. सूर्यास्त के बाद उक्त कार्य नहीं किया जावेगा।
13. इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि आपके द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र में ही कार्य किया जावेगा, अन्य वन क्षेत्रों में नहीं।
14. औपचारिक स्वीकृति जारी दिनांक से मात्र 06 माह की अवधि तक के लिये वैध होगी, इसके उपरांत स्वीकृति स्वमेव ही समाप्त हो जावेगी।
15. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वतः समाप्त मानी जावेगी, एवं वन मंडल अधिकारी दमोह वन मंडल दमोह को तत्काल प्रभाव से कार्य बंद करने का पूर्ण अधिकार होगा।
16. आवेदक संस्था द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का पालन किया जावेगा।
17. म.प्र.शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5/16/2000/10-3 दिनांक 12 सितम्बर 2008 द्वारा अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाईबर केवल लाइन को डालने के प्रकरणों में एन.पी.व्ही की राशि से छूट दी गई है। यदि भविष्य में भारत सरकार/राज्य शासन/प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र., द्वारा एन.पी.व्ही. जमा करने सहित अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो सभी शर्तें आवेदक संस्थान को मान्य होगी।

यह अनुमति सैद्धांतिक रूप से जारी की गई है। आवेदक संस्थान द्वारा उपरोक्त शर्त क्रमांक 01 से 17 तक के पालन से संबंधित वचन पत्र एवं शर्त क्रमांक 02 के पालन हेतु केम्पा मद में जमा की गई राशि की जानकारी इस कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात् कार्य सम्पादन हेतु औपचारिक स्वीकृति, प्रदान की जावेगी। वचन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत औपचारिक स्वीकृति जारी होने के फलस्वरूप ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा। तत्पश्चात् आवेदक संस्थान संबंधित परिक्षेत्राधिकारी को सूचित कर मौके पर कार्य प्रारंभ कर सकेंगे।

वन मंडलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, दमोह (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/माचि./2018/
प्रतिलिपि :-

2625

दमोह, दिनांक 1-10-2018

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल को सूचनार्थ संप्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर को सूचनार्थ संप्रेषित।

3. कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि विषयांकित ओ.एफ.सी.लाईन बिछाने की अनुमति आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वन विभाग के अधिपत्य में आने वाली वनभूमि के लिए ही जारी की जा रही है। उक्त अनुमति में राजस्व विभाग के अधीन छोटे झाड़/बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि तथा अन्य भूमियाँ सम्मिलित नहीं है। यदि आवेदक संस्था द्वारा राजस्व विभाग के अधीन छोटे झाड़/बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि में खुदाई की जाती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये वन मंडल कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत विधिवत् कार्यवाही की जा सके।

4. उप वन मंडल अधिकारी दमोह को सूचनार्थ अग्रेषित।

5. परिक्षेत्र अधिकारी सगोनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। ध्यान रहे बिना औपचारिक स्वीकृति के वनक्षेत्र में कोई भी गैरवानकी कार्य न होने पावे।

1.10.18

वन मंडलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, दमोह (म.प्र.)